

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: एफ.3(क)/एस्टे/पीडी/डीएलबी/14/ 4752

दिनांक :- 13.4.2016

आदेश

मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 160/2014 दिनांक 12.12.2014 की अनुपालना में 18 जनवरी, सन् 2000 में राज्य मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 140/99 दिनांक 23.07.1999 के द्वारा गठित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) का विलय, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित निगम राजस्थान नगरीय पेयजल सिवरेज एवं आधारभूत निगम Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage and Infrastructure Corporation (RUDSICO) में दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी किया जाता है।



(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ.3(क)/एस्टे/पीडी/डीएलबी/14/ 4753-5253

दिनांक :- 13.4.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ राजस्थान।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
10. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।


(संचिता बिश्नोई)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव